FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0254 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 06/09/2026 20:34 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 22/08/2026 **Date To (दिनांक तक):** 01/09/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 15:30 बजे **Time To (समय तक):** 19:15 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 06/09/2026 **Time (समय):** 19:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 06/09/2026 20:34:29 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 04 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** ATALBAND THANE KE PASS NUMAIS ROAD, BHARATPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAM KUMAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** PURAN SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1991 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	TILAK NAGAR KE PEECHE, GOAN SOHANPURA, ATALBANDH, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	TILAK NAGAR KE PEECHE, GOAN SOHANPURA, ATALBANDH, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	GOVIND MEENA		पिता:ARJUN SINGH	1. LAXMINAGAR,MATHURAGATE, BHARATPUR,RAJASTHAN,INDI

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		15,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 15,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर विषय- रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथो पकडवाने हेतु। महोदय, सविनय निवेदन है कि मै राम कुमार पुत्र श्री पूरन सिंह जाति जाटव उम्र 35 साल निवासी तिलक नगर के पीछे गांव सोहनपुरा पुलिस थाना अटलबन्ध जिला भरतपुर का निवासी हुं। दिनांक 13.08.26 को मेरे परिवारजनों व मेरे ताउ के लडके किशन सिंह के बीच लडाई झगडा हो गया था जिसकी शिकायत मेरे पिताजी पूरन सिंह व मेरे ताउ के लडके किशन सिंह द्वारा पुलिस थाना अटलबदं जिला भरतपुर पर की थी। मेरी पिताजी की शिकायत पर मुकदमा संख्या 179/26 व हमारे परिवारजनों के विरूद्ध प्रकरण संख्या 180/26 दर्ज होकर श्री गोविन्द मीना सहायक उप निरीक्षक द्वारा जांच की जा रही है। श्री गोविन्द मीना सहायक उप निरीक्षक द्वारा हमारे मुकदमें में कार्यवाही करने एवं मेरे व परिवारजनों के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में मदद करने की एवज में श्री गोविन्द मीना सहायक उप निरीक्षक 30,000 रूपये की रिश्वत मांग कर परेशान कर रहा है। मै ऐसे भ्रष्ट पुलिस अधिकारी को रिश्वत नही देना चाहता हुं। रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं। मेरा उक्त पुलिस अधिकारी से कोई लेन देन बकाया नही है ना ही कोई रंजिश है। श्रीमान से निवेदन है कि कार्यवाही करने की कृपा करें। एसडी रामकुमार प्रार्थी रामकुमार पुत्र पूरनसिंह जाति जाटव निवासी सोनपुरा मोबाईल नम्बर एसडी महेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक एसीबी भरतपुर 22.08.26, एसडी अशोक कुमार अग्रवाल 23.08.26 एसडी विशन सिंह 23.08.26 कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 22.08.26 समय-03.30 पीएम पर परिवादी श्री राम कुमार पुत्र श्री पूरन सिंह जाति जाटव उम्र 35 साल निवासी तिलक नगर के पीछे गांव सोहनपुरा पुलिस थाना अटलबन्ध जिला भरतपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट मय अपने आधार कार्ड की छायाप्रति के अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर के पद नाम संबोधित करते हुए मन पुलिस निरीक्षक महेन्द्र सिंह को इस आशय का पेश की कि मै राम कुमार पुत्र श्री पूरन सिंह जाति जाटव उम्र 35 साल निवासी तिलक नगर के पीछे गांव सोहनपुरा पुलिस थाना अटलबन्ध जिला भरतपुर का निवासी हुं। दिनांक 13.08.26 को मेरे परिवारजनों व मेरे ताउ के लडके किशन सिंह के बीच लडाई झगडा हो गया था जिसकी शिकायत मेरे पिताजी पूरन सिंह व मेरे ताउ के लडके किशन सिंह द्वारा पुलिस थाना अटलबदं जिला भरतपुर पर की थी। मेरी पिताजी की शिकायत पर मुकदमा संख्या 179/26 व हमारे परिवारजनों के विरूद्ध प्रकरण संख्या 180/26 दर्ज होकर श्री गोविन्द मीना सहायक उप निरीक्षक द्वारा जांच की जा रही है। श्री गोविन्द मीना सहायक उप निरीक्षक द्वारा हमारे मुकदमें में कार्यवाही करने एवं मेरे व परिवारजनों के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में मदद करने की एवज में श्री गोविन्द मीना सहायक उप निरीक्षक 30,000 रूपये की रिश्वत मांग कर परेशान कर रहा है। मै ऐसे भ्रष्ट पुलिस अधिकारी को रिश्वत नही देना चाहता हुं। रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं। मेरा उक्त पुलिस अधिकारी से कोई लेन देन बकाया नही है ना ही कोई रंजिश है। श्रीमान से निवेदन है कि कार्यवाही करने की कृपा करें। उपरोक्त रिपोर्ट पर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो बताया कि उक्त तहरीरी रिपोर्ट मेरे चाचा चौहान सिंह द्वारा हस्तलिखित है एवं उन्होने मुझे प्रार्थना पत्र लिखकर दिया है। मै कम पढा लिखा हुं तहरीरी रिपोर्ट पर मेरे हस्ताक्षर हैं। मेरे पिताजी चलने फिरने में असमर्थ है इसलिए मेरे द्वारा कार्यवाही कराई जावेगी। मजीद दरियाप्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है फिर भी विभागीय प्रकिया अनुसार रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। गोपनीय सत्यापन से जैसी स्थिति होगी अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। तत्पश्चात समय-04.25 पी.एम पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के क्रम में कार्यालय की आलमारी से श्री नरेन्द्र सिंह कानि नं.69 से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर व मैमोरी कार्ड सेनडिस्क 32 जीबी निकलवाकर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में उक्त मैमोरी कार्ड डालकर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री राम कुमार को चालू एवं बन्द करने की विधि समझायी गई उक्त विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री नरेन्द्र सिंह कानि नं.69 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह परिवादी श्री राम कुमार को आरोपी के पास जाने से पूर्व रिकार्डर चालू कर अपना परिचय देकर सुपुर्द करे तथा परिवादी के बाहर आने पर वापस प्राप्त कर बन्द कर ज्यों का त्यौं सुरक्षित लेकर आवे इससे छेडछाड नही करें रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु श्री नरेन्द्र सिंह कानि नं.69 को सरकारी मोटरसाईकिल व परिवादी को अपनी निजी मोटरसाईकिल से पुलिस थाना अटलबंद जिला भरतपुर रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 07.15 पीएम पर श्री नरेन्द्र सिंह कानि नं.69 सरकारी मोटरसाईकिल से उपरोक्त

फिकरावाला का रवाना शुदा उपस्थित कार्यालय आया। श्री नरेन्द्र सिंह कानि नं.69 से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर बन्द हालात में प्राप्त किया गया तथा श्री नरेन्द्र सिंह कानि. ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं व परिवादी श्री राम कुमार कार्यालय से रवाना होकर पुलिस थाना अटलबंद के बाहर पहुंचा जंहा मैने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर परिवादी को सुपुर्द कर दिया व मै वहीं आस पास खडा हो गया। परिवादी डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर लेकर पुलिस थाना अटलबंद जिला भरतपुर के अन्दर गोविन्द मीना सहायक उप निरीक्षक के पास गया तो गोविन्द मीना सहायक उप निरीक्षक ने थोडी देर बाद परिवादी को कॉल कर बुलाने के लिए कहा मैने वॉईस रिकॉर्डर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। मै व परिवादी आस पास ही फोन के इंतजार में अपनी उपस्थिति छुपाते हुये खडे हो गये। इसके बाद गोविन्द मीना सहायक उप निरीक्षक ने परिवादी को कॉल कर बुलाया तो मैने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर रवाना कर दिया। परिवादी आरोपी के पास पुलिस थाने के बाहर नुमाईश मैदान रोड पर पहुंचा। थोडी देर बाद परिवादी बाद रिश्वत मांग सत्यापन के मेरे पास आया और डिजीटल वॉईर रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के मुझे सुपुर्द किया। मैने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। इसके बाद परिवादी ने बताया कि मेरी आरोपी गोविन्द मीना सहायक उप निरीक्षक से रिश्वत के संबध में वार्तालाप हो गई है। आरोपी गोविन्द मीना सहायक उप निरीक्षक ने मेरे से लिखकर 30,000 /- रूपये रिश्वत की मांग की है। मैने 20,000/- रूपये रिश्वत राशि देने के लिए कहा है जिस पर एएसआई द्वारा बात को लीक नही करने की कहकर रिश्वत राशि प्राप्त करने की अपनी स्वीकृति दी है। आपके निर्देशानुसार मै परिवादी राम कुमार को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कार्यालय हाजा में कल दिनांक 23.08.2026 को उपस्थित आने व गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर नीमदा गेट भरतपुर के पास छोडकर उपस्थित कार्यालय आ गया। श्री नरेन्द्र सिंह कानि. से प्राप्तशुदा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो उसमें रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप होना पाई गई। डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमारी कार्ड को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। फर्द वापसी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात दिनांक 23.08.2026 समय-01.15 पीएम पर परिवादी राम कुमार उपस्थित कार्यालय आया जिसने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि 15,000/- रूपये रिश्वत राशि की व्यवस्था हुई है। आरोपी मुझसे 15,000/- रूपये ही ले लेगा। परिवादी को कार्यालय में बैठाया गया। तत्पश्चात समय-01.30 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने पर संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग भरतपुर के पदनाम तहरीर जारी कर श्री परसराम कानि.203 को वास्ते लाने स्वतंत्र गवाह कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालना विभाग भरतपुर रवाना किया गया। तत्पश्चात समय-02.00 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा श्री परसराम कानि. मय दो स्वतंत्र गवाहान के उपस्थित कार्यालय आया मन पुलिस निरीक्षक ने साथ आये स्वतंत्र गवाहान को अपना परिचय देकर उनसे उनका नाम पता पूछा तो उन्होंने अपना-अपना नाम पता क्रमशः श्री अशोक कुमार अग्रवाल पुत्र श्री श्री ताराचन्द जाति वैश्य उम्र 50 निवासी मकान नम्बर 05 जवाहर नगर भरतपुर पुलिस थाना मथुरा गेट जिला भरतपुर हाल पशुधन प्रसार अधिकारी पशु चिकित्सालय उंचा नगला जिला भरतपुर एवं श्री विशन सिंह पुत्र श्री विक्रम सिंह जाति जाट उम्र 36 निवासी मकान नम्बर बी 83 जवाहर नगर भरतपुर पुलिस थाना मथुरा गेट जिला भरतपुर हाल पशुधन निरीक्षक कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग भरतपुर होना बताया एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान का परिचय कार्यालय में पूर्व से उपस्थित परिवादी से करवाया गया तथा परिवादी द्वारा कराई जा रही ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत कराया गया। परिवादी द्वारा दी गई लिखित तहरीरी रिपोर्ट को पढवाया जाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की स्वीकृति चाही गई तो दोनो स्वतंत्र गवाहान ने अपनी-अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान की एवं प्रमाण स्वरूप तहरीरी रिपोर्ट पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात समय- 02.30 पीएम पर उपरोक्त दोनों स्वतंत्र गवाहों के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी श्री राम कुमार पुत्र श्री पूरन सिंह जाति जाटव उम्र 35 साल निवासी तिलक नगर के पीछे गांव सोहनपुरा पुलिस थाना अटलबन्ध जिला भरतपुर से आरोपी गोविन्द मीना सहायक उप निरीक्षक पुलिस को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से रिश्वती राशि 500-500 रूपये के 30 नोट भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल 15,000/-(पन्द्रह हजार) रूपये अपने पास से निकालकर मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल-बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्री रवि कुमार हैडकानि नं. 52 से मालखाना खुलवाकर श्री कपिल सिंह कानि नं.168 से फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा मंगवाया जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्री कपिल सिंह कानि नं.168 से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री राम कुमार की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री अशोक कुमार अग्रवाल से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 15,000/-रूपये के नोटों को श्री कपिल सिंह कानि नं.168 से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की दांयी तरफ की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत देने की स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को

सुनने का प्रयास करे। इसके बाद गवाह श्री अशोक कुमार अग्रवाल से कार्यालय में रखे पानी के कैम्पर में से एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री कपिल सिंह कानि नं.168 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन कार्यालय के बाहर फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार व डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर के डिब्बा को बंद ढक्कन कराकर श्री कपिल सिंह कानि नं.168 के माध्यम से मालखाना में रखवाया गया। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन पुलिस निरीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड जिसमें रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड थी को वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। श्री कपिल सिंह कानि नं.168 को बाद हिदायत कार्यालय में ही छोडा गया। फर्द पृथक से मूर्तिव की जाकर बाद संबंधित के हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय- 03.15 पीएम पर परिवादी श्री राम कुमार ने मन पुलिस निरीक्षक को आरोपी के बारे में जानकारी कर बताया कि आरोपी गोविन्द मीना एएसआई कहीं बाहर गया हुआ है। आरोपी मुझे कॉल कर थाने पर बुलाएगा जब मैं आपको सूचित कर दूंगा। तत्पश्चात परिवादी से वॉइस रिकॉर्डर वापस लेकर एवं परिवादी के पास रखी हुई रिश्वत राशि को श्री कपिल सिंह कानि. 168 से निकलवाकर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर एवं रिश्वत राशि को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। ततपश्चात परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहों को गोपनीयता की हिदायत देकर रूकसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 31.08.2026 समय- 3.00 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक को परिवादी श्री रामकुमार ने जरिए वाट्सअप कॉल कर बताया कि आज सुबह आरोपी गोविन्द मीना सहायक उप निरीक्षक ने मेरे किसी परिचित के माध्यम मुझे सूचना भिजवाई थी कि आज शाम को 04 बजे गवाह लेकर के थाने पर आ जाना आज वो मुझसे रिश्वत राशि ले सकता है। तत्पश्चात परिवादी श्री रामकुमार को काली बगीची चौराहे से आगे गणेश मंदिर के पास मिलने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात समय- 3.15 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक पूर्व से पाबन्दशुदा दोनो स्वतंत्र गवाह श्री अशोक कुमार अग्रवाल पशुधन प्रसार अधिकारी पशु चिकित्सालय ऊंचा नगला जिला भरतपुर एवं श्री विशन सिंह पशुधन निरीक्षक कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग भरतपुर को जरिये फोन मोहन पब्लिक स्कूल काली बगीची भरतपुर के पास उपस्थित मिलने की हिदायत दी गई। रिश्वत राशि के लिफाफे को कार्यालय की आलमारी से निकालकर श्री नरेन्द्र सिंह कानि.69 को सुपुर्द कर श्री नरेन्द्र सिंह कानि. व श्री परसराम कानि. नं. 203 को परसराम कानि. की निजी मोटरसाइकिल से रवाना कर उनके पीछे पीछे मन पुलिस निरीक्षक मय श्री दिलीप सिंह कानि. नं. 610, श्री लोकेश कुमार कानि.85 मय प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स मय लैपटॉप प्रिन्टर मय विभागीय वीडियो कैमरा,डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर, एक नया मैमारी कार्ड सैनडिस्क 32 जीबी व अन्य साजो सामान के ट्रेप कार्यवाही हेतु काली बगीची चौराहा भरतपुर से आगे गणेश मन्दिर होते हुये पुलिस थाना अटलबन्ध जिला भरतपुर रवाना होता हूं। तत्पश्चात समय- 3.30 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराही जाब्ता मय प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स मय लैपटॉप प्रिन्टर मय विभागीय वीडियो कैमरा,डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर, एक नया मैमारी कार्ड सैनडिस्क 32 जीबी व अन्य साजो सामान मय प्राइवेट वाहनों के फिकरा उपरोक्त का रवानाशुदा मोहन पब्लिक स्कूल के पास पहुंचा तो पूर्व से पाबन्दशुदा दोनो स्वतंत्र गवाह श्री अशोक कुमार अग्रवाल पशुधन प्रसार अधिकारी पशु चिकित्सालय ऊंचा नगला जिला भरतपुर एवं श्री विशन सिंह पशुधन निरीक्षक कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग भरतपुर को जरिये फोन मोहन पब्लिक स्कूल काली बगीची भरतपुर के पास उपस्थित मिले को हमरा साथ लेकर गणेश मंदिर के पास भरतपुर पहुंचा तो पूर्व से पाबंदशुदा परिवादी अपनी निजी मोटरसाइकिल से व श्री नरेन्द्र सिंह कानि. व श्री परसराम कानि. नं. 203 अपनी निजी मोटरसाइकिल से उपस्थित मिले । तत्पश्चात समय- 04.30 पी.एम पर दर्ज रहे कि मन पुलिस निरीक्षक द्वारा समय 03.52 पी.एम. पर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर, एक नया मैमारी कार्ड सैनडिस्क 32 जीबी डालकर रिश्वत लेनदेन की वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिए सुपुर्द किया गया व रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मेमोरी कार्ड को मन पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात दोनो स्वतंत्र गवाहों के सामने श्री नरेन्द्र सिंह कानि.69 ने अपने पास रिश्वत राशि के लिफाफे में से रिश्वती राशि 500-500 रूपये के 30 नोट भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल 15,000/-(पन्द्रह हजार) को लिफाफे से निकालकर पूर्व में तैयार की गई फर्द पेशकशी से मिलान करवाया जाकर श्री नरेन्द्र सिंह कानि. द्वारा रिश्वती राशि 15,000 /- रूपये को परिवादी राम कुमार के पहनी हुई पेन्ट की दांयी जेब में रखवाई गई। मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान व दोनो स्वंतत्र गवाहो ने अपने-अपने हाथ साबुन पानी साफ किये गये। ततपश्चात समय 04.26 पीएम पर परिवादी के

मोबाइल नम्बर .आरोपी के मोबाईल नम्बर पर कॉल करवाया गया तथा कॉल को लाउड स्पीकर पर करके विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। मोबाइल वार्ता में आरोपी ने परिवादी को अपने प्रकरण के गवाह लेकर पुलिस थाना अटलबन्ध भरतपुर के पास पुलिस सहायता केन्द्र पर मिलने हेतु कहा गया। ततपश्चात श्री नरेन्द्र सिंह कानि. को कार्यालय एसीबी भरतपुर रवाना किया गया। परिवादी श्री राम कुमार को परिवादी की निजी मोटरसाइकिल से रवाना कर उनके पीछे पीछे श्री परसराम कानि. 203 व श्री लोकेश कुमार कानि. 85 को श्री परसराम कानि. की निजी मोटरसाइकिल से रवाना कर उनके पीछे-पीछे मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय श्री दिलीप सिंह कानि. नं. 610 मय प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स मय लैपटॉप प्रिन्टर मय विभागीय वीडियो कैमरा व अन्य साजो सामान के रवाना होकर पुलिस थाना अटलबन्ध भरतपुर के पास पुलिस सहायता केन्द्र पहुंचा जहां वाहनों को साइड में खडा करवाकर परिवादी को आरोपी से मिलने हेतु पुलिस सहायता केन्द्र के अन्दर रवाना किया गया एवं मन पुलिस निरीक्षक मय हमराही गवाहान एवं जाब्ता के अपनी उपस्थिति छुपाते हुए पुलिस सहायता केन्द्र हीरादास चौराहा भरतपुर के आस पास ही मुकीम हुआ। परिवादी के रिश्वत राशि देने के नियत इशारे का इंतजार है। तत्पश्चात समय- 5.35 पीएम पर परिवादी श्री रामकुमार बस स्टैण्ड चौराहे पर मन पुलिस निरीक्षक के पास आया जिससे पूर्व में सुपुर्दशुदा वॉइस रिकॉर्डर को प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा गया। परिवादी श्री रामकुमार ने बताया कि आरोपी आज मुझसे रिश्वत राशि नही ली है और कल मुझे बुलाया है आरोपी कल मुझसे रिश्वत राशि प्राप्त कर सकता है। आज मेरी आरोपी से पुनः रिश्वत सम्बंधी वार्ता हुई है जिसमें आरोपी ने मुझसे पूर्व में लिखकर बताई गई रिश्वत राशि के बारे में याद दिलाया। सम्पूर्ण वार्तालाप वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गई है अब मै कल शाम को लगभग 4.00 बजे आरोपी गोविन्द मीना सहायक उप निरीक्षक से मिलने जाउंगा आदि पर परिवादी के पास रखी हुई रिश्वत राशि को स्वतंत्र गवाह श्री विशन सिंह से निकलवाकर कागज के लिफाफे मे रखकर गाडी के डेस्कबोर्ड में रखवाई गई। परिवादी को गोपनीयता बनाए रखने की हिदायत देकर रूखसत किया जाकर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान जाब्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाला साजो सामान मय प्राइवेट वाहनों के रवाना एसीबी कार्यालय भरतपुर हुआ। तत्पश्चात समय- 06.00 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान जाब्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाला साजो सामान मय प्राईवेट वाहनों के फिकरा उपरोक्त का रवानाशुदा एसीबी कार्यालय भरतपुर पहुंचा डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को मय मेमोरी कार्ड व रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 22.08.26 के मेमोरी कार्ड एवं रिश्वत राशि को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया एवं स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता बनाए रखने की हिदायत कर रूखसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 01.09.26 समय- 04.40 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक पूर्व से पाबन्दशुदा दोनो स्वतंत्र गवाह श्री अशोक कुमार अग्रवाल पशुधन प्रसार अधिकारी पशु चिकित्सालय ऊंचा नगला जिला भरतपुर एवं श्री विशन सिंह पशुधन निरीक्षक कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग भरतपुर को जरिये फोन मोहन पब्लिक स्कूल काली बगीची भरतपुर के पास उपस्थित मिलने की हिदायत दी गई एवं परिवादी श्री रामकुमार को जरिए वाट्सअप कॉल गणेश मंदिर के पास मिलने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात रिश्वत राशि के लिफाफे को कार्यालय की आलमारी से निकालकर श्री नरेन्द्र सिंह कानि.69 को सुपुर्द कर श्री नरेन्द्र सिंह कानि. व श्री परसराम कानि. नं. 203 को परसराम कानि. की निजी स्कूटी से रवाना कर उनके पीछे पीछे मन पुलिस निरीक्षक मय श्री दिलीप सिंह कानि. नं. 610, श्री लोकेश कुमार कानि.85 मय प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स मय लैपटॉप प्रिन्टर मय विभागीय वीडियो कैमरा,डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमारी कार्ड सैनडिस्क 32 जीबी व अन्य साजो सामान के ट्रेप कार्यवाही हेतु काली बगीची चौराहा भरतपुर से आगे गणेश मन्दिर होते हुये पुलिस थाना अटलबन्ध जिला भरतपुर रवाना होता हूं एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित सिंह अपने निजी वाहन से निर्देश हेतु पीछे पीछे रवाना हुए। तत्पश्चात समय- 05.30 पीएम पर दर्ज रहे कि समय 05.15 पर मन पुलिस निरीक्षक पूर्व से पाबन्दशुदा दोनो स्वतंत्र गवाह श्री अशोक कुमार अग्रवाल पशुधन प्रसार अधिकारी पशु चिकित्सालय उंचा नगला जिला भरतपुर एवं श्री विशन सिंह पशुधन निरीक्षक कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग भरतपुर मोहन पब्लिक स्कूल काली बगीची भरतपुर के पास उपस्थित मिले जिन्हे हमरा साथ लेकर गणेश मंदिर के सामने पहुंचे तो पूर्व से पाबंदशुदा परिवादी अपनी निजी मोटरसाइकिल से उपस्थित मिला। ततपश्चात समय 05.23 पीएम पर परिवादी के मोबाइल नम्बर .आरोपी के मोबाईल नम्बर पर कॉल करवाया गया तथा कॉल को लाउड स्पीकर पर करके विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। मोबाइल वार्ता में आरोपी ने परिवादी को पुलिस थाना अटलबन्ध भरतपुर के पास नुमाइश मैदान रोड पर मिलने हेतु कहा गया। तत्पश्चात दोनो स्वतंत्र गवाहों के सामने श्री नरेन्द्र सिंह कानि. 69 ने अपने पास रिश्वत राशि के लिफाफे में से रिश्वती राशि 500-500 रूपये के 30 नोट भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल 15,000/-(पन्द्रह हजार) को लिफाफे से निकालकर पूर्व में तैयार की गई फर्द पेशकशी से मिलान करवाया जाकर श्री नरेन्द्र सिंह कानि. द्वारा रिश्वती राशि 15,000/- रूपये को परिवादी राम कुमार के पहनी हुई पेन्ट की दांयी जेब में रखवाई गई एवं रिश्वत लेनदेन वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को मय मेमोरी कार्ड को परिवादी को सुपुर्द किया गया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान व दोनो स्वंतत्र गवाहो ने अपने-अपने हाथ साबुन पानी साफ किये गये। ततपश्चात श्री नरेन्द्र सिंह कानि. को कार्यालय एसीबी भरतपुर रवाना किया गया। परिवादी श्री राम कुमार को परिवादी की

निजी मोटरसाइकिल से रवाना कर उनके पीछे पीछे श्री परसराम कानि. 203 व श्री लोकेश कुमार कानि. 85 को श्री परसराम कानि. की निजी स्कूटी से रवाना कर उनके पीछे-पीछे मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय श्री दिलीप सिंह कानि. नं. 610 मय प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स मय लैपटॉप प्रिन्टर मय विभागीय वीडियो कैमरा व अन्य साजो सामान के रवाना होकर पुलिस थाना अटलबन्ध भरतपुर के पास नुमाइश मैदान रोड पर पहुंचा जहां वाहनों को साइड में खडा करवाकर परिवादी को आरोपी से मिलने हेतु रवाना किया गया एवं मन पुलिस निरीक्षक मय हमराही गवाहान एवं जाब्ता के अपनी उपस्थिति छुपाते हुए पुलिस थाना अटलबंद के आसपास नुमाइश मैदान रोड पर मुकीम हुआ। परिवादी के रिश्वत राशि देने के नियत इशारे का इंतजार है। श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक को मय श्री रवि कुमार हैड कानि, श्री अवधेश कुमार हैड कानि. , श्री मनोज कानि. के मय सरकारी वाहन बोलेरो के पुलिस थाना अटलबंद के पास आने की हिदायत की गई। तत्पश्चात समय- 06.00 पीएम- इस समय श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक मय श्री रवि कुमार हैड कानि. नं. 52 ,श्री अवधेश कुमार हैड कानि. नं. 68, श्री मनोज कानि.नं. 364 के मय सरकारी वाहन बोलेरो के पुलिस थाना अटलबंद के पास उपस्थित आये जिन्हे आस पास अपनी उपस्थिति छुपाने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात समय- 07.15 पी.एम पर मन पुलिस निरीक्षक महेन्द्र सिंह को समय 07.05 पी.एम. पर परिवादी श्री रामकुमार के नियत ईशारे की सूचना प्राप्त होने पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान जाब्ता , मय स्वतंत्र गवाहान के पुलिस थाना अटलबंद के बगल से नुमाइश मैदान को जाने वाले रोड पर अटलबंद थाना के पास पहुंचा तो परिवादी श्री रामकुमार उपस्थित मिला जिससे पूर्व से सुपुर्दशुदा डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा । तत्पश्चात परिवादी श्री रामकुमार ने बताया कि नीले रंग की चैक शर्ट पहने हुए जो व्यक्ति खडा है वो ही गोविन्द मीना एएसआई हैं जिन्होने अभी अभी मुझसे रिश्वत के 15000 रूपये अपने बांये हाथ में लेकर अपने बांयी तरफ की पैंट की जेब में रख लिये हैं। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने मय हमराहीयान मय गवाहान के उक्त व्यक्ति के पास पहुंचकर अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम गोविन्द मीना पुत्र श्री अर्जुन सिंह जाति मीना उम्र 41 साल निवासी गांव बीकरू पुलिस थाना नदबई जिला भरतपुर हाल लक्ष्मीनगर पुलिस थाना मथुरा गेट जिला भरतपुर होना बताया उक्त व्यक्ति से परिवादी से ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो उक्त व्यक्ति घबरा गया और रिश्वत राशि अपनी जेब से निकालकर रोड पर फेंक दी और कहा कि मैंने कोई रिश्वत राशि नही ली है परिवादी ने जबरदस्ती मेरे जेब में डाली थी जिसे मैंने निकाल के रोड पर फेंक दिया था। जिस पर उक्त व्यक्ति के बांये हाथ को कलाई के ऊपर से श्री लोकेश कुमार कानि. नं. 85 से तथा दांये हाथ को कलाई के ऊपर से श्री परसराम कानि. नं. 203 द्वारा पकडवाया जाकर एवं रिश्वत राशि को स्वतंत्र गवाह श्री अशोक कुमार अग्रवाल से उठवाया जाकर उक्त गवाह के पास ही सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात आरोपी गोविन्द मीना सहायक उप निरीक्षक को हाथ पकडी हुई अवस्था में ही रोड से रवाना होकर मय हमराहीयान जाब्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय रिश्वत राशि के पुलिस थाना अटलबंद के अंदर थानाधिकारी कक्ष के अंदर पहुंचा जहां थानाधिकारी श्री हेमेन्द्र सिहं को अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उक्त कार्यवाही के बारे में अवगत कराकर कार्यवाही के लिए कमरा उपलब्ध कराने की कहने पर थानाधिकारी ने स्वेच्छा से थानाधिकारी कक्ष में कार्यवाही करने की सहमति दी। तत्पश्चात श्री दिलीप कुमार कानिस्टेबल से विभागीय वीडियो कैमरा को चालू कराकर पुनः अपना परिचय देकर आरोपी से रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछा तो आरोपी ने बताया कि मैंने कोई रिश्वत नही ली है और नाही मैने कोई रिश्वत मांगी है। तत्पश्चात परिवादी श्री रामकुमार ने आरोपी की बातों का खंडन करते हुए बताया कि एएसआई साहब झूंठ बोल रहे हैं । एएसआई साहब ने मेरे से मेरे पिता द्वारा दर्ज कराए गये प्रकरण व हमारे परिवारजनों के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में कार्यवाही व मदद करने की एवज में 30,000 रूपये रिश्वत की मांग की थी जिस पर आज 15,000 रूपये रिश्वत राशि अपने बांये हाथ से लेकर अपने पहनी हुई पेंट में आगे की बांयी तरफ की जेब में रख लिये जो आपको देखकर रोड पर फेंक दिये थे। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री अशोक कुमार अग्रवाल के पास सुरक्षित रखी हुई रिश्वत राशि को पूर्व में तैयार की गई फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो हूबहू पाई गई। रिश्वत राशि को स्वतंत्र गवाह श्री अशोक कुमार अग्रवाल के पास ही सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही करते हुए ट्रेपबॉक्स में से पारदर्शी दो डिस्पोजल गिलासों को निकलवाकर थानाधिकारी कक्ष में रखी हुई पानी की बोतल में से साफ पानी से दो गिलासों को साफ करवाकर पानी डलवाकर एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर स्वतंत्र गवाह विशनसिंह से डलवाकर हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर दोनो गिलासों के घोल में आरोपी गोविन्द मीना सहायक उप निरीक्षक के क्रमशः बांये हाथ एवं दांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग क्रमशः हल्का गुलाबी व गदमैला हो गया जिसे सभी को दिखाकर चार कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर क्रमशः मार्क एल.एच -1 व एल.एच.-2 एवं आर एच-1 व आर एच-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तथा डिस्पोजल गिलासों को नष्ट किया गया तत्पश्चात पुनः गवाह श्री विशन सिंह से ट्रेप बॉक्स से डिस्पोजल गिलास निकलवाकर अच्छी तरह साफ करवा कर उसमें साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में आरोपी गोविन्द मीना सहायक उप निरीक्षक के पहने हुए पेंट बरंग सलेटी जिस पर अंग्रेजी में ललित टेलर खेरली लिखे हुए को ससम्मान उतरवाकर एवं नया

पायजामा मंगवाकर पहनवाकर पेंट की सामने की बांयी तरफ की जेब को उल्टा कर उक्त घोल में डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क पीपी-1 व पीपी-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया व डिस्पोजल गिलास को नष्ट कराया गया तथा पैंट को सुखवाकर बांये जेब पर सम्बंधित के हस्ताक्षर कराकार पैंट को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शील मौहर किया जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर कराकर मार्क पीपी अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री अशोक कुमार अग्रवाल के पास पूर्व से रखी हुई रिश्वत राशि 15,000/- रूपये के नम्बरों को पुनः पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो नोटों के नम्बर हूबहू पाए गये। उक्त नोटों को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया परिवादी से प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक से रूपान्तरण कम्प्यूटर की सहायता से टेबल स्पीकर से सुना जाकर तैयार करवाया जावेगा। तत्पश्चात आरोपी गोविन्द मीना सहायक उप निरीक्षक से परिवादी के पिता द्वारा दर्ज कराये गये प्रकरण व परिवादी के परिवारजनों के विरूद्ध दर्ज प्रकरण की पत्रावली के सम्बंध में पूछने पर बताया कि उक्त दोनों प्रकरणों सं. 179/26 व 180/26 का अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है उक्त दोनो प्रकरणों की पत्रावलीयां बैरक में बनी हुई पत्थर की अलमारी में रखी हुई हैं , उक्त दोनो पत्रावलीयां आरोपी गोविन्द मीना के बताए अनुसार थानाधिकारी ने मंगवाकर मन पुलिस निरीक्षक को पेश की जिन्हे बाद अवलोकन पृथक से जब्त किया जावेगा। आरोपी गोविन्द मीना सहायक उप निरीक्षक पुलिस का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) अपराध श्रेणी में आता है। अतः उक्त आरोपी गोविन्द मीना सहायक उप निरीक्षक पुलिस को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जावेगा। रिश्वत राशि बरामदगी, हाथ धुलाई व पेंट धुलाई की कार्यवाही की विडियो ग्राफी सरकारी विडियो कैमरा से श्री दिलीप कुमार कानि0 द्वारा कराई गई जिसकी सीडी पृथक से जरिये फर्द तैयार की जावेगी। फर्द बरामदगी पृथक से मूर्तिव की जाकर बाद संबंधित के हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय- 08.15 पीएम पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित सिंह एसीबी मुख्यालय जयपुर के निर्देशानुसार आरोपी गोविन्द मीना सहायक उप निरीक्षक के रिहायशी मकान की खाना तलाशी हेतु लक्ष्मीनगर भरतपुर मय निजी वाहन मय वीडियो कैमरा मय मेमोरी कार्ड मय हमराही जाब्ता के रवाना हुए। हाथ धुलाई के मेमोरी कार्ड को वीडियोकैमरे से निकालकर मन पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात समय- 09.00 पी.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री गोविन्द मीना सहायक उप निरीक्षक पुलिस से परिवादी के पिताजी द्वारा दर्ज करवाये गये प्रकरणों की पत्रावली आरोपी गोविन्द मीना सहायक उप निरीक्षक के कहे अनुसार थानाधिकारी श्री हेमेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक द्वारा दो पत्रावली पेश की गई पत्रावलीयों का अवलोकन किया गया तो प्रथम पत्रावली के कवर पेज पर मु.नं. 179 / 26 धारा 115 (2) , 126(2),303(2), 189(2) बीएनएस, घटना तिथि 13.08.26 एवं नाम आईओ गोविन्द सहायक उपनिरीक्षक पी.एस. अटलबंद लिखा हुआ है। पेज नं. 01 व 02 पर परिवादी के पिता द्वारा पेश टाइपशुदा प्रार्थना पत्र मय कार्यवाही पुलिस जिस पर परिवादी के पिता पूरनसिंह के हस्ताक्षर हैं व दिनांक 14.08.26 डली हुई है। पेज सं. 03 से 05 तक प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पेज सं. 6से 07 तक डायरी सं. 01 है। पेज सं. 8 से लेकर पेज सं. 113 तक अन्य केस डायरी नक्शा मौका , मुचलका मय आई डी बयानात गवाहान , एम एल आर , एक्सरे रिपोर्ट एवं पत्रावली में अंतिम केस डायरी सं. 06 दिनांक 26.08.26 के सलंग्न जिसमें एक्सरे रिपोर्ट मैडीकल राय , बयानात गवाहान , घटनास्थल नक्शा मोका का उल्लेख है। द्वितीय पत्रावली के कवर पेज पर थाना अटलबंद मु.नं. 180 / 26 धारा 115(2) , 126(2),74,189(2) बीएनएस, घटना तिथि 13.08.26 एवं नाम आईओ गोविन्द सहायक उपनिरीक्षक पी.एस. अटलबंद लिखा हुआ है। पेज नं. 01 व 02 पर परिवादी व परिवादी के परिवारजनों के विरूद्ध किशन सिंह के द्वारा पेश टाइपशुदा प्रार्थना पत्र मय कार्यवाही पुलिस जिस पर किशन सिंह के हस्ताक्षर हैं व दिनांक 14.05.26 डली हुई है। पेज सं. 03 से 05 तक प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पेज सं. 6से 07 तक डायरी सं. 01 है। पेज सं. 8 से लेकर पेज सं. 81 तक अन्य केस डायरी नक्शा मौका , मुचलका मय आई डी बयानात गवाहान , एम एल आर , एवं पत्रावली में अंतिम केस डायरी सं. 05 दिनांक 24.08.26 के सलंग्न जिसमें मैडीकल राय , बयानात गवाहान , घटनास्थल नक्शा मोका का उल्लेख है। उक्त दोनों मूल पत्रावलीयों के प्रथम पृष्ठ पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जाकर छायाप्रति कराई जाकर छायाप्रति की फोटो प्रति श्री हेमेन्द्र सिंह थानाधिकारी पुलिस थाना अटलबंद भरतपुर से प्रमाणित कराकर फोटो प्रति के प्रथम व अंतिम पेज पर सम्ंबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर जब्त किया गया । दोनों मूल पत्रावलीयों को श्री हेमेन्द्र सिंह थानाधिकारी पुलिस थाना अटलबंद भरतपुर को सुपुर्द कर परिवादी श्री रामकुमार के वैध कार्य को करने की हिदायत दी गई। फर्द जब्ती रिकॉर्ड पृथक से मूर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय- 10.00 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी गोविन्द मीना पुत्र श्री अर्जुन सिंह जाति मीना उम्र 41 साल निवासी गांव बीकरू पुलिस थाना नदबई जिला भरतपुर हाल लक्ष्मीनगर पुलिस थाना मथुरा गेट जिला भरतपुर द्वारा परिवादी श्री रामकुमार से उसके पिताजी द्वारा दर्ज करवाये गये प्रकरण सं. 179/26 एवं परिवादी के परिवारजनों के विरूद्ध दर्ज प्रकरण सं 180/26 में कार्यवाही एवं मदद करने की एवज में आरोपी गोविन्द

मीना सहायक उप निरीक्षक पुलिस द्वारा दौराने सत्यापन 30000 रूपये रिश्वत की मांग करना एवं आज दिनांक 01.09.26 को प्रथम किश्त के रूप में रिश्वत राशि 15,000 लेते हुए पकडा जाने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित वर्ष 2018) के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा समस्त कानूनी प्रावधान बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया गया। जाकर अभियुक्त की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री अशोक कुमार अग्रवाल से लिवाई गई तो काले रंग का एक पर्स मिला जिसमें 4260 रूपये एवं एक मोबाइल रियल मी कम्पनी का 5 एस मॉडल के अलावा अन्य कोई नकदी व वस्तु नही मिली और नाही कब्जा एसीबी ली गई। तलाशी में मिली राशि 4260 रूपये के सम्बंध में जबाव संतुष्टप्रद पाये जाने पर एवं मोबाइल फोन की प्रकरण हाजा में वजह सबूत आवश्यक नही होने से मोबाइल फोन व तलाशी में मिली राशि 4260 रूपये को मौके पर उपस्थित आरोपी के साले श्री विष्णु मीना को सुपुर्द किया गया । आरोपी के गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार मौके पर उपस्थित आरोपी के साले श्री विष्णु मीना को दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मूर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय- 11.00 पीएम पर घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका परिवादी की निशादेही पर गवाहान की मौजूदगी में लाईटों की रोशनी में पृथक से तैयार किया गया। फर्द नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय- 11.35 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय गिरफ्तारशुदा आरोपी गोविन्द मीना सहायक उप निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी मय जाब्ता मय शील्डशुदा रिश्वत राशि 15,000 रूपये मय धोवन की शील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट , डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड, वीडियोग्राफी मेमोरी कार्ड मुताबिक फर्दात मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप प्रिन्टर , पुलिस थाना अटलबंध जिला भरतपुर के प्रकरण सं. 179/26 व 180/26 की मूल पत्रावली को थानाधिकारी अटलबंद से प्राप्त कर मय सरकारी एवं प्राइवेट वाहनों के एसीबी चौकी भरतपुर के लिए रवाना हुआ। तत्पश्चात समय- 11.50 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय गिरफ्तारशुदा आरोपी गोविन्द मीना सहायक उप निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी मय जाब्ता मय शील्डशुदा रिश्वत राशि 15,000 रूपये मय धोवन की शील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट , डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मुताबिक फर्दात मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप प्रिन्टर मय पुलिस थाना अटलबंध की पत्रावलीयां , सरकारी एवं प्राइवेट वाहनों के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा एसीबी चौकी भरतपुर पहुचा जहां जब्तशुदा रिश्वत राशि 15,000 रूपये एवं धोवन की शील्ड शीशियां कुल छः, शील्ड पैकिट को मुताबिक फर्दात के मालखाना प्रभारी श्री रविकुमार हैडकानि नं. 52 को दुरूस्त हालत में सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। वॉईस रिकॉडर मय मेमोरी कार्ड व वीडियोग्राफी मैमोरी कार्ड व पत्रावलीयों को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखावाया गया। तत्पश्चात समय- 11.55 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय श्री लोकेश कुमार कानि.85, श्री दिलीप कानि.610 मय गिरफ्तारशुदा आरोपी गोविन्द मीना सहायक उप निरीक्षक मय प्राईवेट वाहन के वास्ते कराने बन्द हवालात पुलिस थाना मथुरा गेट रवाना हुआ। तत्पश्चात दिनांक 02.09.2026 समय- 00.15 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय श्री लोकेश कुमार कानि.85, श्री दिलीप कानि.610 मय गिरफ्तारशुदा आरोपी गोविन्द मीना सहायक उप निरीक्षक मय प्राईवेट वाहन के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा बाद कराकर गिरफ्तारशुदा आरोपी गोविन्द मीना सहायक उप निरीक्षक को बन्द हवालात पुलिस थाना मथुरा गेट से वापस आया। दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को समय 09.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। तत्पश्चात समय- 9.00 एएम पर पूर्व से पाबंदशुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान अशोक कुमार अग्रवाल एवं विशन सिंह एवं परिवादी श्री रामकुमार उपस्थित कार्यालय आए जिन्हे कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात समय- 09.05 ए.एम. पर श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक मय श्री लोकेश कुमार कानि.85, श्री दिलीप कानि.610 मय गिरफ्तारशुदा आरोपी गोविन्द मीना सहायक उप निरीक्षक को मय निजी वाहन के वास्ते लाने पुलिस थाना मथुरा गेट रवाना किये गये। तत्पश्चात समय- 09.10 एएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही श्री दिलीप कुमार कानि. नं. 610 द्वारा रिश्वत राशि बरामदगी, हाथ धुलाई व वर्दी धुलाई की विभागीय वीडियो कैमरा के मेमोरी कार्ड को कार्यालय की आलमारी से निकालकर वीडियोकैमरा में डालकर वीडियोग्राफी की तीन पैन ड्राईव श्री दुष्यंत कुमार सहायक प्रोग्रामर से तैयार करवाई जाकर पैन ड्राईवों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर कराये जाकर मूल प्रति एवं मुल्जिम प्रति पैन ड्राईव को सफेद कपडे की थैलियों में अलग- अलग रखकर थैलियों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर शील्ड मौहर किया जाकर मार्क 'वी' अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया एवं एक पैन ड्राईव को अनुसंधान अधिकारी के लिए खुला रखा गया एवं मूल मेमोरी कार्ड को पृथक से कपडे की थैली में रखकर शील्ड मौहर किया जाकर मार्क 'वीडी' अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शील्डशुदा मेमोरी कार्ड एवं पैन ड्राईवों को मालखाना प्रभारी श्री रवि कुमार हैडकानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। फर्द रिश्वत राशि बरामदगी वीडियोग्राफी पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गयी। तत्पश्चात समय- 09.28 एएम पर रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक मय श्री लोकेश कुमार कानि.85, श्री दिलीप कानि.610 मय गिरफ्तारशुदा बंद हवालात आरोपी गोविन्द मीना सहायक उप निरीक्षक को पुलिस थाना मथुरागेट भरतपुर से हमरा साथ लेकर कार्यालय लेकर आये आरोपी को कार्यालय में जाब्ता की निगरानी में सुरक्षित बैठाया गया। तत्पश्चात समय- 9.30 ए.एम. पर वक्त वॉइस रिकॉर्डर मय मेमेारी कार्ड लेनदेन वार्ता व रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 22.08.2026 के मैमोरी कार्ड को कार्यालय की अलमारी से निकालकर डिजिटल वाईस रिकार्डर में से रिश्वत लेनदेन

वार्ता के मेमोरी कार्ड को निकालकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मेमोरी कार्ड को डालकर वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकार्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता की ऑडियो फाइल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय-09.35 ए.एम पर परिवादी रामकुमार व आरोपी गोविन्द मीना सहायक उप निरीक्षक पुलिस थान अटलबंद जिला भरतपुर के मध्य दिनांक 22.08.26 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है, को कार्यालय के कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के समक्ष रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में रूपान्तरण व हिन्दी भाषा में अनुवाद श्री नरेन्द्र सिंह कानि नं. 69 से तैयार करवाया श्री दुष्यतं सिंह सहायक प्रौग्रामर द्वारा तीन सीडी तैयार करवाई गई। उक्त तीन सीडीयों में सेव ऑडियों फाईल की FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। मूल सीडी एवं मुल्जिम सीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " ए " अंकित करवाकर मूल सीडी एवं मुल्जिम प्रति सीडी को कपडे की थैली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। डिजीटल वाईस रिकार्डर में से मैमोरी कार्ड को निकालकर उसे एक प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर उक्त डिब्बी को कपडे की थैली में रखकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " एम " अंकित कर सील मौहर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा मूल व मुल्जिम सीडी व मैमोरी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री रवि कुमार हैड कानि0 52 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। तथा आईओ प्रति सीडी पर संबधितों के हस्ताक्षर कराकर खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई।तत्पश्चात समय- 12.40 पी.एम. पर वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 31.08.26 एवं 01.09.26 के मेमोरी कार्ड को वॉईस रिकॉडर में डालकर वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है, से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकार्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता की ऑडियो फाइल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय-12.45 पी. एम. पर परिवादी रामकुमार व आरोपी गोविन्द मीना सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना अटलबंद जिला भरतपुर के मध्य हुई लेनदेन वार्ता दिनांक 31.08.26 एवं दिनांक 01.09.26 जो डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है, को कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के समक्ष रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में रूपान्तरण व हिन्दी भाषा में अनुवाद श्री नरेन्द्र सिंह कानि नं. 69 से तैयार करवाया श्री दुष्यतं सिंह सहायक प्रौग्रामर द्वारा तीन सीडी तैयार करवाई गई। उक्त तीन सीडीयों में सेव ऑडियों फाईल की FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। मूल सीडी एवं मुल्जिम सीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " बी' अंकित करवाकर मूल सीडी एवं मुल्जिम प्रति सीडी को कपडे की थैली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। डिजीटल वाईस रिकार्डर में से मैमोरी कार्ड को निकालकर उसे एक प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर उक्त डिब्बी को कपडे की थैली में रखकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " एम-1 " अंकित कर सील मौहर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा मूल व मुल्जिम सीडी व मैमोरी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री रवि कुमार हैड कानि0 52 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। तथा आईओ प्रति सीडी पर संबधितों के हस्ताक्षर कराकर खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय- 04.30 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 84 को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। फर्द की एक प्रति गवाह श्री विशन सिंह को दी गई। बाद सम्पन्न कार्यवाही परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखस्त किया गया। तत्पश्चात समय- 04.40 पी.एम पर दर्ज रहे कि पुलिस थाना अटलबंध जिला भरतपुर की प्रकरण सं. 179/26 व 180/26 जो परिवादी के कार्य से सम्बंधित पत्रावली थी जिनको कल दिनांक 01.09.26 को वास्ते अवलोकनार्थ लेकर आये थे उक्त पत्रावलीयों को समय 3.00 पी.एम. पर कार्यालय में उपस्थित आये श्री हेमेन्द्र सिंह थानाधिकारी पुलिस थाना अटलबंध जिला भरतपुर को दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष लौटाया गया। अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी गोविन्द मीना सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना अटलबंद जिला भरतपुर द्वारा परिवादी श्री रामकुमार से उसके पिताजी द्वारा दर्ज करवाये गये प्रकरण सं. 179/26 एवं परिवादी एवं परिवादी के परिवारजनों के विरूद्ध दर्ज प्रकरण सं 180/26 में कार्यवाही एवं मदद करने की एवज में आरोपी गोविन्द मीना सहायक उप निरीक्षक पुलिस द्वारा दौराने सत्यापन दिनांक 22.0.8.26 को 30000 रूपये रिश्वत की मांग करना एवं दिनांक 01.09.26 को प्रथम किश्त के रूप में रिश्वत राशि 15,000 रूपये लेते हुए रंगे हाथों पकडे जाने का कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण

अधिनियम 1988(यथा संशोधित वर्ष 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। उक्त आरोपी के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर प्रेषित है। (महेन्द्र सिंह) पुलिस निरीक्षक , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर ....कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक, भरतपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री गोविन्द मीना पुत्र श्री अर्जुन सिंह जाति मीना उम्र 41 साल निवासी गांव बीकरू पुलिस थाना नदबई जिला भरतपुर हाल निवासी लक्ष्मीनगर पुलिस थाना मथुरा गेट जिला भरतपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना अटलबंद जिला भरतपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रामेश्वर परिहार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाईमाधोपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 85 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1465-68 दिनांक 06-.09.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर 2- पुलिस अधीक्षक, जिला भरतपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज भरतपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAMESHWAR PARIHAR **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 06/09/2026 20:38:16

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1985				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)